

वर्ष 2019-20 परिपत्र-4

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462026

दूरभाष 0755 2583653 ईमेल - rajyayojna@gmail.com

क्रमांक/स.यो./नि.शु.साय/स/01/2019 20/412 भापाल, दिनांक 06/11/2019

प्रति

समस्त सभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

[Handwritten signature]

- विषय- वर्ष 2019-20 में तकनीकी कारणों से कक्षा 9वीं के हितग्राही विद्यार्थियों को सायकिलें प्राप्त नहीं होने से ऑफलाईन सायकिल वितरण की अनुमति विषयक।
- संदर्भ 1. विडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 09.09.2019 के संवध में।
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक/योजना/नि.शु.साय/स/01/2019-20/245 भापाल, दिनांक 16.09.2019।
3. संचालनालय का परिपत्र-4 क्रमांक/योजना/नि.शु.साय/स/01/2018 19/27 भापाल, दिनांक 31.01.2019।

-00-

निशुल्क सायकिल वितरण योजनातर्गत कतिपय जिलों द्वारा अवगत कराया जा रहा है, कि किन्हीं तकनीकी/अन्य कारणों से कुछ विद्यार्थियों का नाम शिक्षा पोर्टल पर सायकिल हेतु सभावित हितग्राहियों की सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जबकि छात्र सायकिल हेतु नियमानुसार पात्रता की श्रेणी में आते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है, कि इस प्रकार के प्रकरणों में, संबंधित संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त प्रकरणों का विधिवत विस्तृत परीक्षण करे तत्पश्चात् सलग्न प्रपत्रानुसार ऑफलाईन हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूची, अनुमोदन हेतु तत्काल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

2/ यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, कि संचालनालय की अनुमति के बिना ऑफलाईन वितरण न किया जाए। सूची PDF में ईमेल-rajyayojna@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

सलमन उपरीक्तानुसार।

(गौतम सिंह)

अपर परियोजना संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

भापाल, दिनांक 06/11/2019

क्रमांक/स.यो./नि.शु.साय/स/01/2019 20/413

संचालक

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल।
4. आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर परियोजना संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.



वर्ष 2019-20 में कक्षा 9वीं के हितग्राहियों को ऑफलाईन सायकिल वितरण हेतु प्रपत्र

संभाग..... जिला.....

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम एवं डाईस कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पालक का नाम	ऑफलाईन होने का स्पष्ट कारण

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला.....म.प्र.

संयुक्त संचालक
संभाग..... लोक शिक्षण म.प्र.


// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर म.प्र. //

प्रतिलिपि:-

पृ./क./योजना/2019/ 2986

इन्दौर दिनांक 13/11/19

- 1- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनलय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- कलेक्टर इन्दौर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- 4- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- 5- जिला परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- 6- समस्त प्राचार्य शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 7- समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 में तकनीकी कारणों से कक्षा 9 वी के हितग्राही विद्यार्थियों को जिनको सायकल प्राप्त नहीं हुई है। पात्र विद्यार्थियों की जानकारी तत्काल संलग्न प्रारूप में योजना अनुभाग में जमा करावे। ताकि आफलाईन सायकल वितरण की अनुमति प्राप्त हो सकें। हितग्राही को सायकल प्राप्त नहीं होने से सी.एम.हेल्पलाईन पर शिकायत होती है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इन्दौर